सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/SER-2586/MRLY/53/2025-RU-IV दिनांक : 17 .06.2026

सेवा मे,

महाप्रबंधक,
मध्य रेलवे,
मुख्यालय कार्यालय, मध्य रेलवे,
CSMT, मुंबई, महाराष्ट्र 400001
ईमेल: gm@cr.railnet.gov.in

विषय: **सेंट्रल रेलवे, मुंबई द्वारा उपयुक्तता सूची (suitability list) में ST कर्मचारियों को शामिल न करने और आरक्षण नियमों के उल्लंघन के संबंध में शिकायत - श्री विनोद कुमार मीना, सीनियर ALP, सेंट्रल रेलवे, मुंबई डिवीजन का 29.07.2025 का ईमेल।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 01.04.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

17.6.26

(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)
अवर सचिव / Under Secretary
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

प्रतिलिपि सूचनार्थ-:
श्री विनोद कुमार मीना,
F-504 मोहन वेल्ली,
हेंड्रापाड़ा बदलापुर पश्चिम,
ठाणे, महाराष्ट्र - 421306
vinod5757sattawan@gmail.com
मोबाइल नंबर:9413579957

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल संख्या NCST/SER-2586/MLRY/53/2025-RU-IV

केंद्रीय रेलवे, मुंबई द्वारा उपयुक्तता सूची (Suitability List) में अनुसूचित जनजाति (ST) कर्मचारियों को बाहर रखने तथा आरक्षण मानकों के उल्लंघन एवं याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुचित स्थानांतरण के संबंध में श्री विनोद कुमार मीणा, वरिष्ठ ए.एल.पी, केंद्रीय रेलवे, मुंबई मंडल द्वारा दिनांक 25.07.2025 के अभ्यावेदन के संबंध में आयोग में दिनांक 01.04.2026 को हुई सिटिंग का कार्यवृत

सिटिंग/ सुनवाई की तिथि:01.04.2026

सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

श्री विनोद कुमार मीणा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि केंद्रीय रेलवे, मुंबई मंडल द्वारा LPG (Loco Pilot Goods) पद हेतु जारी उपयुक्तता सूची में पात्र अनुसूचित जनजाति (ST) कर्मचारियों को सेवा अवधि, शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य निष्पादन संबंधी सभी मानदंड पूर्ण करने के बावजूद शामिल नहीं किया गया, जबकि केवल UR एवं OBC कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार यह कार्रवाई आरक्षण नीति, Post Based Roster, DoPT एवं रेलवे बोर्ड के निर्देशों तथा संविधान के अनुच्छेद 16(4) एवं 335 के विपरीत है। शिकायतकर्ता द्वारा मुख्यतः यह भी अवगत कराया गया है कि LPG प्रमोशन हेतु आवश्यक 60,000 KM Verification Data आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे लगभग 10 माह से प्रमोशन प्रक्रिया लंबित है। LPG कैडर में ST वर्ग की लगभग 155 तथा Loco Pilot Shunter (LPS) कैडर में 176 रिक्तियाँ होने के बावजूद पद नहीं भरे गए। दिनांक 20.08.2025 की Suitability List में ST वर्ग को केवल 15 वैकेंसी दी गईं, जबकि बाद में 27.04.2026 को 176 वैकेंसी दर्शाई गईं, जिससे रोस्टर एवं वैकेंसी विभाजन की पारदर्शिता पर प्रश्न उठते हैं। इसके अतिरिक्त, रनिंग कैडर के रोस्टर सही प्रकार से मेंटेन न किए जाने, पिछले 8 वर्षों में Reservation in Promotion के अंतर्गत हुए प्रमोशनों का विवरण उपलब्ध न कराने, Post Based Roster के अनुसार पद न भरने तथा आरक्षित सीटों पर UR उम्मीदवारों को समायोजित किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि 29.07.2025 के पत्र में SC/ST की Provisional Suitability List बाद में जारी करने का उल्लेख होने के बावजूद

आज तक सूची जारी नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने स्वयं के संबंध में भी यह आरोप लगाया है कि 60,000 KM पात्रता एवं आवश्यक अनुभव पूर्ण करने के बावजूद उन्हें ट्रेनिंग एवं पोस्टिंग नहीं दी जा रही है, जबकि अन्य UR उम्मीदवारों को बिना Provisional List के ZRTI ट्रेनिंग हेतु भेजा गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी ट्रेनिंग एवं प्रमोशन प्रक्रिया जानबूझकर लंबित रखी जा रही है। शिकायतकर्ता ने मामले में रोस्टर प्रणाली के अनुसार नई सूची जारी करने, रिक्त पदों को आरक्षण नीति के अनुरूप भरने तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

2. आयोग द्वारा दिनांक 21.08.2025 को महाप्रबंधक, मध्य रेलवे, मुंबई को मामले से संबंधित तथ्य एवं सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रथम नोटिस जारी किया गया। सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में दिनांक 01.01.2026 को संबंधित प्राधिकरण को अनुस्मारक (रिमाइंडर) जारी किया गया।

3. मध्य रेलवे, मुंबई द्वारा अपने जवाब दिनांक 16.09.2025 एंव 27.03.2026 के माध्यम से आयोग को अवगत कराया गया है आयोग द्वारा दिनांक 21.08.2025 को अग्रेषित श्री विनोद कुमार मीणा की शिकायत का पुनः परीक्षण किया गया, जिसमें बताया गया है कि लोको पायलट कैडर में पदोन्नति की श्रृंखला Asstt. Loco Pilot से प्रारंभ होकर Sr. Asstt. Loco Pilot, Loco Pilot (Shunting) Grade-II, Loco Pilot (Shunting) Grade-I, Loco Pilot (Goods), Loco Pilot (Passenger) तथा Loco Pilot (Mail) तक निर्धारित है। Loco Pilot (Goods) पद पर पदोन्नति हेतु Loco Pilot (Shunter-I एवं II) पद पर न्यूनतम 2 वर्ष की नियमित सेवा, MLD Course उत्तीर्ण करना तथा Competency Certificate अनिवार्य है। Sr. ALP कर्मचारी Loco Pilot (Goods) पद हेतु पात्र नहीं हैं तथा उनका अगला पदोन्नति पद Loco Pilot (Shunter-I) है। विभाग के अनुसार Loco Pilot (Goods) पद हेतु कुल 945 पदों (UR-411, SC-279 एवं ST-155) का आकलन स्वीकृत किया गया था। पदोन्नति चैनल के अनुसार Loco Pilot (Shunter-I एवं II) पद पर 2 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारी ही पात्र हैं। वरिष्ठता सूची के अनुसार पात्रता की शर्तें पूर्ण करने वाले सभी 253 कर्मचारियों को पैनल में शामिल किया गया है, जिनमें 23 SC एवं 2 ST कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। अतः विभाग के अनुसार शिकायतकर्ता के आरोप तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं तथा आरक्षण नीति का कोई उल्लंघन अथवा ST कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में माननीय आयोग से प्रकरण को बंद किए जाने का अनुरोध किया गया है।।

4. आयोग ने इस मामले में दिनांक 01.04.2026 को सिटिंग आयोजित करने का निर्णय लिया। इस संबंध में संबंधितों को एवं याचिकाकर्ता को सिटिंग नोटिस जारी किये गए।

5. सुनवाई में मध्य रेलवे, मुंबई के प्राधिकारी गण व् अभ्यावेदक उपस्थित रहे

6. सुनवाई में उपस्थित मध्य रेलवे, मुंबई के प्राधिकारीगणों ने बताय की लोको पायलट कैडर की पदोन्नति श्रृंखला Asstt. Loco Pilot से प्रारंभ होकर Sr. Asstt. Loco Pilot, Loco Pilot (Shunting) Grade-II, Loco Pilot (Shunting) Grade-I, Loco Pilot (Goods), Loco Pilot (Passenger) तथा Loco Pilot (Mail) तक निर्धारित है। Loco Pilot (Goods) पद पर पदोन्नति हेतु Loco Pilot (Shunter-I एवं II) पद पर न्यूनतम 2 वर्ष की नियमित सेवा, MLD Course उत्तीर्ण करना तथा Competency Certificate होना अनिवार्य है। उत्तर में यह भी कहा गया है कि Sr. ALP, Loco Pilot (Goods) पद हेतु पात्र नहीं हैं तथा उनका अगला पदोन्नति पद Loco Pilot (Shunter-I) है। विभाग द्वारा Loco Pilot (Goods) पद हेतु कुल 945 पदों (UR-411, SC-279 एवं ST-155) का आकलन स्वीकृत किया गया था। वरिष्ठता सूची के अनुसार पात्रता की शर्तें पूर्ण करने वाले सभी 253 Loco Pilot (Shunter-I एवं II) कर्मचारियों को पैनल में सम्मिलित किया गया है, जिनमें 23 SC एवं 2 ST कर्मचारी भी शामिल हैं। अतः विभाग के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं तथा आरक्षण नीति का कोई उल्लंघन अथवा ST कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है

7. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता श्री विनोद कुमार मीणा ने प्रस्तुत किया कि LPG (Loco Pilot Goods) प्रमोशन हेतु आवश्यक 60,000 KM Verification Data आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके कारण लगभग 10 माह से प्रमोशन प्रक्रिया लंबित है। उन्होंने कहा कि LPG कैडर में ST वर्ग की 155 तथा LPS कैडर में 176 रिक्तियाँ होने के बावजूद पद नहीं भरे गए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि प्रमोशन प्रक्रिया को जानबूझकर रोका जा रहा है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि दिनांक 20.08.2025 की Suitability List में ST वर्ग को केवल 15 वैकेंसी दी गई। उनके अनुसार रनिंग कैडर के रोस्टर सही प्रकार से मेंटेन नहीं किए जा रहे तथा Post Based Roster के अनुसार पद नहीं भरे जा रहे हैं। उन्होंने पिछले 8 वर्षों में Reservation in Promotion के अंतर्गत हुए प्रमोशनों का पूरा विवरण उपलब्ध कराने की मांग की तथा आरोप लगाया कि वर्ष 2022 से ST कर्मचारियों के प्रमोशन प्रभावी रूप से बंद हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी अवगत कराया कि 60,000 KM पात्रता एवं 2 वर्ष का अनुभव पूर्ण करने के बावजूद उन्हें ट्रेनिंग एवं पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। साथ ही दिनांक 22.06.2022 के पत्र के अनुसार Point Table उपलब्ध नहीं कराया गया तथा 29.07.2025 के पत्र में SC/ST की Provisional Suitability List बाद में जारी करने का उल्लेख होने के बावजूद आज तक सूची जारी नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में UR उम्मीदवारों को आरक्षित रोस्टर सीटों का लाभ दिया गया अत: यह उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को दर्शाती है।

8. **मामले में दिनांक 01.04.2026 की सुनवाई के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की गई:**

I. महाप्रबंधक, मध्य रेलवे, मुंबई यह सुनिश्चित करें कि Loco Pilot कैडर में पदोन्नति प्रक्रिया, आरक्षण नीति, Post Based Roster एवं रेलवे बोर्ड/DoPT के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी तरीके से संचालित की जाए।

आभा रानी

II. LPG एवं LPS कैडर में रिक्त पदों, विशेषकर ST वर्ग की रिक्तियों एवं बैकलॉग पदों की अद्यतन स्थिति आयोग को उपलब्ध कराई जाए तथा यह स्पष्ट किया जाए कि रिक्त पदों को भरने हेतु अब तक क्या कार्रवाई की गई है।

III. 60,000 KM Verification Data, Point Table एवं संबंधित रिकॉर्ड की स्थिति स्पष्ट करते हुए आयोग को विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए।

IV. पिछले 8 वर्षों में Reservation in Promotion के अंतर्गत Loco Pilot (Shunter) एवं Loco Pilot (Goods) पदों पर किए गए प्रमोशनों का वर्गवार विवरण आयोग को उपलब्ध कराया जाए।

V. दिनांक 20.08.2025 की Suitability List, Provisional Suitability List तथा Post Based Roster के अनुपालन की समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पात्र ST कर्मचारी के साथ भेदभाव न हो।

VI. याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों, विशेषकर ट्रेनिंग, पोस्टिंग में चयन से संबंधित बिंदुओं की जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाए।

VII. आयोग को समस्त बिंदुओं पर विस्तृत Action Taken Report निर्धारित अवधि के भीतर उपलब्ध कराई जाए।

आशा लकड़ा
17/06/2026

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi